आदेश पत्रक

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
परगना : बलदेव, जनपद : मथुरा, तहसील : महावन
वाद संख्या — 00813/2019
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या — 1201901500108514
मौजा- सैदपुर, महावन
131/21-22.

विधिलेख सिकरवार शिक्षा समिति बनाम सरकार
अंतर्गत धारा — 80, अभिविधान — उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता — 2006

आदेश

प्रबंधक विधिलेख सिकरवार शिक्षा समिति ग्राम– सैदपुर, तहसील – महावन, जिला – मथुरा, पिन– 281301 द्वारा प्रबंधक पवन कुमार पुत्र श्री राजवीर सिंह निवासी ग्राम – सैदपुर, तहसील महावन, जिला – मथुरा, के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 15.10.2019 में अंकित किया गया है कि वे मौजा ग्राम– सैदपुर परगना बलदेव तहसील महावन व जिला मथुरा कि भूमि खाता संख्या 175 खसरा संख्या 1025, 1033, 1034, 646, 648, 649, 607, 608 व 609 रकबा 1.040 है० लगभग 23.14 रुपए के संक्रमणीय भूधिधर दर्ज कागजात है। उक्त भूमि मौके पर कृषि बागवानी पशुपालन, मत्स्य पालन व कुक्कुटपालन आदि के उपयोग में नही लाई जा रही है , को अकृषिक घोषित किया जाने कि प्रार्थना की गयी है । प्रार्थी द्वारा अपने कथन की पुष्टि हेतु शपथ पत्र दाखिल किया है तथा सहखातेदार पवन कुमार पुत्र श्री राजवीर सिंह निवासी ग्राम – सैदपुर परगना बलदेव तहसील महावन जनपद मथुरा द्वारा सहमति शपथ – दाखिल किया गया है ।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर जाचोपरान्त तहसीलदार महावन द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 21.11.2019 से अंकित किया गया है की मौजा ग्राम– मढोरा परगना बलदेव तहसील महावन व जिला मथुरा कि भूमि खाता संख्या 175 खसरा संख्या 1025, 1033, 1034, 646, 648, 649, 607, 608 व 609 रकबा 1.040 है० लगभग 23.14 रुपए के विधिलेख सिकरवार शिक्षा समिति ग्राम– मढोरा, पोस्ट–बल्देव, जिला – मथुरा, पिन– 281301 द्वारा प्रबंधक पवन कुमार पुत्र श्री राजवीर सिंह निवासी ग्राम – सैदपुर, तहसील महावन, जिला – मथुरा, के संक्रमणीय भूधिधर दर्ज कागजात है। प्रश्नगत भूमि मौके पर कृषि बागवानी पशुपालन, मत्स्य पालन व कुक्कुटपालन आदि के प्रयोजन मे नही लाई जा रही है । प्रश्नगत भूमि विकास प्राधिकरण आवास विकास परिषद या अन्य किसी शासकीय विभाग द्वारा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नही है। प्रश्नगत भूमि मे मौका पर पक्की चाउन्डरीवाल बनी है व एक छोटा सा कमरा व चबूतरा बना है । आबादी के रूप मे प्रयोग की जा रही है। प्रश्नगत भूमि का नजरी नक्शा एवं फोटो शाक आख्या के साथ सलग्न है । तहसीलदार महावन द्वारा प्रस्तावित भूमि को राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अंतरगत अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है ।

वाद दर्ज कर क्षेत्रीय लेखपाल श्री ज्ञानदास का सशपथ बयान 10.12.2019 के आधार को दर्ज किया गया तहसीलदार महावन की आख्या दिनांक 20.11.2019 के अनुसार प्रश्नगत भूमि की कलेक्टर मोहदय द्वारा निर्धारित सर्किल दर से मालियत 2430000/- रुपया है जिसकी दो प्रतिशत धनराशि 48600/- रुपया अठतालीस हजार छः सौ रुपया भारतीय स्टेट बैंक मथुरा में चालान संख्या 0598/01/88/12109 दिनांक 14.2.2019 के आधार पर प्रार्थिया द्वारा जमा की जा चुकी है

अतः तहसीलदार, महावन की उक्त संस्तुति आख्या दिनांक – 21.11.2019 के आधार पर ग्राम – सैदपुर तहसील महावन व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या 175 खसरा संख्या 1025, 1033, 1034, 646, 648, 649, 607, 608 व 609 रकबा 1.040 है० लगभग 23.14 रुपए को निम्नवत अकृषिक घोषित किया जाता है –

1/1

पृष्ठ संख्या :